(2)

मु.नं.–38 / 2020 GCMS ID-2020/00063 ता.रजु–02.09.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

दीना मीना पुत्र श्री जयलाल मीना, ग्राम व पोस्ट–मोंगेपुरा, तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–22.09.2020

1. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 16.09.2020, 21.09.2020 व 22.09.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर दिनांक 05 फरवरी 2015 से 11.11.2016 तक ग्राम पंचायत मोंगेपुरा में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत योजना से अनुशंषित पत्रों की प्रति, कराये गये कार्यों की अनुशंषित / आवंटित राशि, प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, विकास कार्यों की सूची, एमबी, निर्माण कार्यों के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र, विकास कार्यों की सूची आदि कुल 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–जिपक / 2020–21 / 4000–01 दिनांक 14.09.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का आवेदन प्राप्त होने पर अपीलार्थी को 200 पृष्ठीय सूचना हेतु 2 / – रुपये प्रति पृष्ठ की दर से कुल 400 / – रुपये कार्यालय में जमा करवाने हेतु पत्रांक 3623–24 दिनांक 28.07.2020 से अपीलार्थी को लिखा गया था परंतु अपीलार्थी द्वारा आदिनांक तक राशि जमा नहीं कराई गई है। अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनका आवेदन दिनांक 13.07.2020 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित 30 दिवस की सीमा के अन्दर पत्रांक 3623–24 दिनांक 28.07.2020 को 200 पृष्ठीय सूचना हेतु 2 / – रुपये प्रति पृष्ठ की दर से कुल 400 / – रुपये प्रत्यर्थी के कार्यालय में जमा करवाये जाने हेतु लिखा गया है लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि जमा नहीं कराई गई है। अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है। हम प्रत्यर्थी के विनिश्चय से सहमत हैं। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी उक्त राशि प्रत्यर्थी के कार्यालय में इस निर्णय की प्राप्ति से 30 दिवस में जमा करा देवे तो अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी जावे।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली